Electrical supvr & Marine Electrician Latest

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

GSR-76 ELECTRICAL SUPERVISOR & MARINE ELECTRICIAN

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 24—मार्च 30, 2013, शनिवार/चैत्र 3—चैत्र 9, 1935

No. 13] NEW DELHI, MARCH 24—MARCH 30, 2013, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(स्थापना I अनुभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, परिवहन अनुसंधान प्रभाग (परिवहन पक्ष) (कनिष्ठ अन्वेषक और संगणक) भर्ती नियम, 1987 को जहां तक उनका संबंध संगणक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष में संगणक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन अनुसंधान पक्ष (संगणक) भर्ती नियम, 2013 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2013

सा.का.नि. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मत्स्य और नौचालन शिक्षण संस्थान, बिजली मिस्त्री और नौ बिजली मिस्त्री (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते , अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मत्स्य और नौचालन प्रशिक्षण संस्थान, बिजली मिस्त्री और नौ बिजली मिस्त्री (समूह 'ग' द) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मत्स्य और नौचालन प्रशिक्षण संस्थान, बिजली मिस्त्री और नौ बिजली मिस्त्री (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 (जिसे समें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 1 के सामने बिजली पर्यवेक्षक के पद से संबंधित- (i) स्तंभ (7) के शीर्ष "आवश्यक" के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा विभिन्न मोटरों या उपकेंद्रों या विद्युत उत्पादन एकक या मत्स्य जलयान, स्थोरा पोत, पोत यार्ड से संबंधित प्रतिष्ठापन और मरम्मत और वायरिंग में व्यवहार करने वाले रजिस्ट्रीकृत संगठनों से विद्युत उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं";

(ii) स्तंभ (9) में, प्रविष्टि "दो वर्ष" शब्दों के पश्चात् "सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 2 के सामने, नौ बिजली मिस्त्री मद से संबंधित-(i) स्तंभ (7) की मद (iii) की प्रविष्टि स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(iii) विभिन्न मोटरों या उपकेंद्रों या विद्युत उत्पादन एकक या मत्स्य जलयान, स्थोरा पोत, पोत यार्ड से संबंधित प्रतिष्ठापन और मरम्मत और वायरिंग में व्यवहार करने वाले रजिस्ट्रीकृत संगठनों से विद्युत उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत में एक वर्ष का अनुभव रखते हैं";

(ii) स्तंभ (9) में, प्रविष्टि "दो वर्ष" शब्दों के पश्चात् "सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 3-9/2009-म. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

पाद टिप्पण.— मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 32, तारीख 30 जनवरी, 2012 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 25th March, 2013

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Electrical Supervisor and Marine Electrician, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) The rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Electrical Supervisor and Marine Electrician, (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2013,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Electrical Supervisor and Marine Electrician, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2012(hereafter referred to as the said rules), in the Schedule, against serial number 1 relating to the post of Electrical Supervisor,- (i) in column (7), under the heading "Essential", for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

Diploma in Electrical Engineering from a recognised Institute with three years experience in maintenance and repairs of electrical machineries from registered organisations dealing with installation and repair and wiring of various motors or sub-stations or power generation units or associated with fishing vessels, cargo ships, ship repair yards";

(ii) in column (9), in the entry, after the words "Two years", the words "for direct recruits" shall be inserted.

3. In the said rules, in the Schedule, against serial number 2 relating to the post of Marine Electrician,-(i) in column the entries for item (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

"(iii) having one year experience in maintenance and repairs of electrical machineries from registered organisations dealing with installation and repair and wiring of various motors or sub-stations or power generation units or associated with fishing vessels, cargo ships, ship repair yards";

(ii) in column (9), in the entry, after the words "Two years", the words "for direct recruits" shall be inserted.

[F. No. 3-9/2009-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

ote : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 32, dated the 30th January, 2012.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2013

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, और मत्स्य विभाग, केंद्रीय मत्स्य और नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, केंद्रीय मत्स्य और नौचालन और इंजीनियरी ग संस्थान, कोचीन, अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, केंद्रीय मत्स्य और नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, अवर लपिक, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, केंद्रीय मत्स्य और नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, अवर लपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में,–

(i) स्तंभ (1) की प्रविष्टियों के स्थान पर, "अवर श्रेणी लिपिक या हिन्दी टंकक (अवर श्रेणी लिपिक)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ii) स्तंभ (2) की प्रविष्टि "11" के स्थान पर, "12" रखा जाएगा ।

[फा. सं. 3-54/2010-म. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

टिप्पण.— मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 258, तारीख 6 सितंबर, 2011 में प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 25th March, 2013

G.S.R. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President y makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and ries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Lower Division Clerk Group 'C' Post itment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and ries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Lower Division Clerk, Group 'C' Post itment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.